पहला अंक नौमनि, भारत सरकार का ई-न्यूज़लैटर जुलाई, 2016

भारत सरकार,

पोत परिवहन मंत्रालय,

नौवहन महानिदेशालय,

बीटा बिल्डिंग, 9वीं मंजिल, आई-थिंक टैक्नो कैम्पस, कांजूर मार्ग (पूर्व),मुंबई–400 042

फोन:91-22-25752040/43 ईमेल:dgship-dgs@nic.in वैबसाइट: dgshipping.gov.in

नौमनि, भारत सरकार का ई-न्यूज़लैटर
(नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार का तिमाही ई-न्यूज़लैटर)

संरक्षक:	श्री दीपक शेट्टी, भारासे, नौवहन महानिदेशक एवं सचिव भारत सरकार
सलाहकार मंडल:	1. श्री अमिताभ कुमार, भारासे, संयुक्त नौवहन महानिदेशक. 2. कप्तान एल.के. पांडा, नॉटिकल सलाहकार. 3. श्री बी.आर. शेखर, मुख्य सर्वेक्षक. 4. श्री सुरेश कुमार, मुख्य पोत सर्वेक्षक.
संपादक:	श्री जी.एल. सिंह, कन्सल्टैन्ट, हैल्प डैस्क
संपादकीय सहायता:	1. श्रीमती आर.आई. सोलकर, कल्नसल्टैन्ट. 2. श्रीमती वी. आई. शर्मा, कन्सल्टैन्ट. 3. श्री डी. डी. मंकीकर, कन्सल्टैन्ट.
संपादन एवं अनुवाद (हिंदी अंक)	श्री विमलेन्द्र पाल सिंह भदौरिया.
हिंदी टाइपसैटिंग:	श्रीयुत श्रीराम.

संपादकीय...

सदियों से भारत समुद्रकर्मियों का देश रहा है. यूरोपीय जहाज़ी ताकतों का उद्भव होने से बहुत पहले से ही भारत में समुद्र मार्ग से यातायात की शानदार परंपरा रही है.

19वीं सदी से चली आ रही भारतीय पोत परिवहन विधि स्वतंत्रता से पहले इतनी सशक्त नहीं थी. किंतु, स्वतंत्रता के तत्काल बाद ही भारतीय संसद ने समुद्रीय देश की अपेक्षा के अनुरूप पोत परिवहन अधिनियम, 1958 पारित किया जिसमें बाद में समय-समय पर संशोधन किए गए.

मेक इन इन्डिया, कौशल विकास, डिजिटल इन्डिया, कारोबार करने में आसानी जैसी नव संकल्पनाओं के साथ पोत निर्माण से लेकर नौचालन तक में भारतीय उद्योग द्वारा झेली जा रही वैश्विक स्तर की प्रतियोगिताओं और चुनौतियों का डट कर सामना करने के लिए तैयार हुआ है.

अन्य बातों को ध्यान में रखे जाने के साथ-साथ अपने हितधारियों के साथ परस्पर संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन मंच स्थापित करने हेतु नौवहन उद्योग के मेरुदंड के रूप में समुद्रकर्मियों हेतु मॉड्यूलों सहित विभिन्न मॉड्यूलों को विकसित कर सक्रिय किया है.

नि:संदेह, अपेक्षित सुधारों की गुंजाइश है जिस हेतु नौमनि निरंतर अपनी पूरी सत्यनिष्ठा और पारदर्शी रीति से अग्रसर है. तथापि, सफलता की यह कसौटी वास्तविक प्रयोक्ताओं पर निर्भर है और इस संबंध में उनके द्वारा , हमारे प्रिय समुद्रकर्मी क्या कहते हैं, शीर्षक के अंतर्गत जो कहा गया है उसमें से यह बात अत्यंत आह्लादकारी एवं मर्मस्पर्शी है कि, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है.

(जी.एल.सिंह)

अस्वीकरण: इस न्यूज़लैटर में निहित सामग्री मात्र सूचना के प्रयोजन से है. इसमें निहित सामग्री के सटीक होने या फिर अधिप्रामाणिक होने का कोई दावा नहीं है, न इस न्यूज़लैटर में दी गई या इसमें कहीं से समाविष्ट की गई किसी भी जानकारी हेतु किसी व्यक्ति या संगठन को उत्तरदायी ही ठहराया जा सकता है.

नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार का वक्तव्य:-

भारत के विदेशी व्यापार को गतिशील बनाए रखने में समुद्रीय अधिरचना की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है. भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, वर्ष 2015-16 में इसके सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बढ़ने की दर 7.6 प्रतिशत रही.

2. भारतीय नौवहन उद्योग का संवर्धन करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं सभी तरह के पोतो को लिया जाना, निर्बाध आयात, ओपन जनरल लाइसेन्स के अंतर्गत नौवहन जगत में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पहले नकारने का अधिकार देकर भारतीय नौवहन उद्योग को कार्गो सहयोग उपलब्ध करवाए जाने, फ्री ऑन बोर्ड आयात की नीति, कारपोरेट कर आदि की जगह पर टनभार कर स्कीम को आरंभ किया जाना. सरकार ने देश के बाहर स्थित भारतीय संस्थानों द्वारा पोतों के ध्वजों को अनुमति देकर भारतीय ध्वज वाले बेड़े के संवर्धन हेतु भारतीय नियंत्रित टनभार की संकल्पना आरंभ की है.

3. इसके अलावा, भारत सरकार ने विदेशी व्यापार के आवागमन हेतु और भारत में दो या दो से अधिक पत्तनों के बीच प्रयुक्त खाली कन्टेनरों का वहन करने के लिए भारतीय ध्वज जलयानों में प्रयुक्त बंकरों यानी जहाज़ी ईंधन पर सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों में छूट प्रदान की है.

4. एक और उपाय के तौर पर विशेष प्रकार के पोत परिवहन जलयानों को कैबोटेज में छूट दी गई है. सरकार के उक्त आदेश का लक्ष्य यह है कि सड़क/रेल मार्गों से होने वाला कार्गो परिवहन अब समुद्रतटीय नौवहन के माध्यम से किए जाने में तेज़ी आए.

5. दिनांक 09.12.15 को भारत सरकार ने भारतीय पोतगाहों के लिए एक नई वित्तीय सहायता नीति का अनुमोदन किया है. उक्त नीति के अनुसार, वर्ष 2015-16 से आरंभ कर कम से कम दस वर्ष की अवधि के दौरान उनके द्वारा बनाए गए प्रत्येक जलयान के संविदा मूल्य या उचित मूल्य (जो कि तीन अन्तरराष्ट्रीय मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा आंका गया होगा) में से जो कम होगा उसके 20 प्रतिशत के बराबर पोतगाहों को यह वित्तीय सहायता दी जाएगी. 20 प्रतिशत की इस दर को हर तीन सालों में 3 प्रतिशत घटा दिया जाएगा.

6. भारत सरकार ने दिनांक 07.03.16 को सामान्य आदेश संख्या एसडबल्यू-15011/8/2015-सीएस जारी किया है जिसमें कन्टेनरों हेतु उन पत्तनों को छूट दी गई है जिनके द्वारा कम से कम 50 प्रतिशत कन्टेनर एक से दूसरे पोत पर ले जाए गए हों. ऐसा करने से नौवहन लाइनें भारत के विदेशी व्यापार और भारत में ट्रान्सशिपमेन्ट पत्तनों पर खाली कन्टेनरों को समेकित कर पाएंगी जिससे मुख्य नौवहन लाइनों द्वारा विभिन्न गंतव्यों की दिशा में परिवहन किया जा सकेगा.

7. विश्व के समुद्री व्यापार और नौवहन में एक प्रमुख भागीदार होने के नाते भारत का अन्तरराष्ट्रीय समुद्रीय जगत में बड़े महत्व का स्थान है. अन्तरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन यानी आईएमओ में उच्चता की प्राप्ति के लिए भारत ने जो सम्मिलित प्रयास किए हैं उनका लाभ मिलना आरंभ हो गया है. 22जुलाई, 2016 को लंदन में आयोजित हाल ही के आईएमओ के III-3 (आईएमओ संलेख कार्यान्वयन) के प्लेनरी सत्र के दौरान, श्री अजी वासुदेवन, उप मुख्य पोत सर्वेक्षक-सह-वरिष्ठ उप महानिदेशक (तकनीकी), भारत सरकार, मुंबई को वर्ष 2017 हेतु आईएमओ की उक्त समिति यानी III-4 के अध्यक्ष के रूप में चुना गया. ऐसा पहली बार हुआ है कि आईएमओ में ऐसे महत्वपूर्ण मंच की अध्यक्षता करने का सुअवसर किसी भारतीय समुद्रीय कार्यकारी को मिला हो.

8. इसके अलावा, भारतीय ध्वज जलयानों के पंजीकरण की प्रकियाओं को आसान किया गया है ताकि कारोबार करने में आसानी हो जिससे भारतीय समुद्रीय बेड़े की बढ़ोतरी हो और भारतीय नौवहन व्यापार का संवर्धन हो, साथ ही कार्य व्यापार में लगने वाले समय और खर्च में भी कमी आए. यहां तक क्रमिक रूप से नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा अपने हितधारियों को दी जाने वाली समूची सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा चुका है ताकि व्यक्तिगत रूप से बिना आए, निर्बाध और मितव्ययिता के साथ सेवाएं प्रदान की जा सकें.

9. नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार की एक और विशेष बात चित्ताकर्षक है, नए पोत परिवहन विधेयक का सूत्रपात (पुराने पड़ चुके 1958 के वर्तमान पोत परिवहन अधिनियम के स्थान पर) किया है, इसे यथाशीघ्र कार्यरूप में परिणत करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न स्तरों पर यह विचाराधीन है. आशा है कि इसके परिणामस्वरूप नया संहिताबद्ध, आधुनिक, युक्तिसंगत, आसान और प्रयोक्ता-अनुकूल वाणिज्य पोत परिवहन कानून भारत में मार्च, 2017 के अंत तक आ जाएगा.

10. यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एक कुशल शिकायत समाधान प्रणाली जो प्रयोक्ता/नौवहन समुदाय की बढ़ती मांगों की पूर्ति कर सके उसको विकसित करने के प्रयोजन से डीजीएस ई-गवर्नेन्स प्लेटफार्म के अंतर्गत साथ-साथ चलने वाली फीडबैक प्रणाली पहले से ही कार्यरत है.

11. नौमनि, भारत सरकार द्वारा समूचे नौवहन जगत और जन सामान्य को व्यापक स्तर पर संगत एवं विषयपरक जानकारी प्रदान करने हेतु तीन बार डीजीएस ई-न्यूज़लैटर का प्रारंभिक अंक का सूत्रपात एक उत्साहवर्धक कदम है. मेरी कामना है कि यह प्रयास सफलतापूर्वक निर्बाध रूप से चलता रहे.

12. नौवहन उद्योग इसी तरह से फलता-फूलता रहे, दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करे यही मेरी कामना है.

(दीपक शेट्टी)
नौवहन महानिदेशक एवं
सचिव, भारत सरकार

मैरीटाइम इन्डिया समिट (एमआईएस) : समुद्रीय जगत के बढ़ते कदमों का शुभारंभ.

पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 से 16 अप्रैल, 2016 के दौरान पहली बार वर्ष की मेगा इवैन्ट के रूप में मैरीटाइम इन्डिया सम्मिट (एमआईएस) का आयोजन किया गया. इस महासम्मेलन का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कर कमलों से हुआ.

उद्घाटन कर, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सागरमाला परियोजना हेतु लगभग 83000 करोड़ से ऊपर के कारोबार हेतु एमओयू हस्ताक्षर किए जाने का मार्ग प्रशस्त किया. लॉजिस्टिक पर जहां आज 18 प्रतिशत का खर्च आ रहा है तो वहीं इस परियोजना के फलस्वरूप यह खर्च कम होकर 10 प्रतिशत रह जाएगा, जिससे भारतीय सामान और अधिक प्रतियोगी हो जाएगा. इसके अंतर्गत विभिन्न सेमिनारों का आयोजन किया गया और इसमें माननीय पोत परिवहन मंत्री, श्री नितिन गडकरी तथा अन्य वरिष्ठ मंत्रियों एवं मुख्यमंत्रियों सहित नौवहन जगत के सर्वोपम दैदीप्यमान नक्षत्रों ने पदार्पण किया.

उल्लेखनीय है कि माननीय पोत परिवहन मंत्री श्री नितिन जयराम गड़करी के नेतृत्व में पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित एमआईएस 2016 एक अद्भुत मंच रहा जहां भारतीय और अन्तरराष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता और नीति निर्माताओं जैसे विभिन्न हितधारी एकत्र हुए, इनमें भारतीय और बहुराष्ट्रीय निगमों के सीईओ और वरिष्ठ कार्यकारी, वित्तीय संस्थान, उद्यमी, उद्योग और व्यापार संघ, विचार प्रणेता, शैक्षणिक और अनुसंधान तथा अध्येताओं ने पारस्परिक लाभकारी सहयोग, बढ़ते व्यापार और नौवहन क्षेत्र पर आयोजित भारतीय समुद्रीय क्षेत्रों के सत्रों/सेमिनारों की बढ़ोतरी विषयों पर प्रतिभागिता की इनमें से कुछ तो भारतीय समुद्रीय प्रशासन से अत्यंत निकट संबंध रखते हैं जिन्हें आगे बताया गया है:

समुद्रीय सुरक्षा और समुद्री लूटपाट का सामना करने पर सत्र:

श्री किरण रिजूजू, गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार ने इस सत्र की अध्यक्षता की और संगत हितधारियों को एक साथ आकर इस दिशा में कार्य करने हेतु कहा. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत एक विस्तारवादी राष्ट्र न होकर एक यथास्थिति राष्ट्र है, इसमें अपने समस्त क्षेत्रीय राज्यों के संवर्धन के प्रति कार्य करने की क्षमता और शक्ति निहित है. तटवर्ती सुरक्षा पर उन्होंने विशेष बल दिया. मंत्रालय में नीति बनाए जाने हेतु लोगों के सुझावों का उन्होंने स्वागत किया.

नौवहन महानिदेशक ने अपने वक्तव्य में समुद्रकर्मी समुदाय, अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय नौवहन उद्योगों, पोतस्वामियों और संबद्ध हितधारियों के बीच प्रचलित समुद्रीय सुरक्षा और समुद्री लूटपाट का सामना करने के संबंध में संचेतना लाने और सूचित जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि सतत आर्थिक विकास, निवेश और समुद्र मार्ग से किए जाने वाले विदेशी व्यापार को सशक्त किया जा सके.

समुद्रीय राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुतीकरण, शीर्षक से एक थीमैटिक सत्र आयोजित किया गया:

मैरीटाइम इन्डिया सम्मिट-2016 के भाग के रूप में, 1500 और 1800 बजे के बीच 14.04.16 को, नौवहन उद्योग के वैश्विक स्वभाव और समुद्रीय राष्ट्रों में प्रतियोगिता होते हुए भी इनके बीच सहयोग और मिलकर कार्य करने के महत्व को रेखांकित करने के लिए, समुद्रीय राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुतीकरण, शीर्षक से अभिहित एक विशेष थीमैटिक सत्र आयोजित किया गया.

इस थीमैटिक सत्र की अध्यक्षता और संचालन अन्तरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन के सेवामुक्त महासचिव, एडमिरल ई. मित्रोपौलॅस ने की और इसमें 11 देशों के वक्ता शामिल थे, जिनमें एक तो परिवहन मंत्री, छह समुद्रीय प्रशासनों के प्रतिनिधि, विश्व व्यापार, विदेश नीति और रक्षा क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे.

इस सत्र के परिणाम के रूप में यह बात सामने आई कि इस संदर्भ में भारत को निवेश गंतव्य के रूप में प्रक्षेपित करने हेतु समुद्रीय राष्ट्रों में सहयोग और अपनी-अपनी भूमिका के बारे में एक सी समझ की आवश्यकता है. इस सत्र के दौरान, विशेषज्ञों द्वारा तमाम विषयों पर चर्चा की गई जिनमें विविधता के साथ/मुद्दों को पारस्परिक परिप्रेक्ष्य में कवर किया गया, श्री सुरेश कुमार, मुख्य पोत सर्वेक्षक ने भारतीय समुद्रीय प्रशासन की ओर से इस सेमिनार में भाग लिया.

समुद्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास पर थीमैटिक सेमिनार:

श्री राजीव प्रताप रूडी, केन्द्रीय राज्य मंत्री, उद्यमिता तथा कौशल विकास (स्वतंत्र प्रभार), ने मुंबई में आयोजित मैरीटाइम इन्डिया सम्मिट, 2016 में समुद्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास पर सेमिनार की अध्यक्षता की. श्री अमिताभ कुमार, भारासे, संयुक्त नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार ने इस सेमिनार में प्रतिभागिता कर स्वागत भाषण दिया और धन्यवाद ज्ञापित किया.

वर्ष 2017 हेतु अन्तरराष्ट्रीय संलेखों (III-4) की आईएमओ की उप-समिति कार्यान्वयन के चौथे सत्र के अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया:

अन्तरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन (आईएमओ), लंदन संयुक्त राष्ट्र का एक विशेषीकृत अभिकरण है. आईएमओ अन्तरराष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरणात्मक कार्य हेतु विश्व स्तर पर मानक तय करने वाला प्राधिकरण है. आईएमओ सफलतापूर्वक अन्तरराष्ट्रीय पैमानों को विकसित कर समूचे विश्व के समक्ष एक से मानकों का सूत्रपात करता रहा है.

विश्व के समुद्रमार्ग से होने वाले व्यापार और नौवहन का एक प्रमुख घटक होने के नाते अन्तरराष्ट्रीय समुद्रीय गतिविधियों और समुद्रीय मामलों में विश्व स्तर पर नीति बनाए जाने का निर्णय लेने में भारत का महती स्थान है. खासतौर पर समुद्रीय व्यापार और सामान्य तौर पर भारतीय व्यापार के अधिक खर्चीले होने के बाहरी कारकों के असर को काबू में लाया जाना चाहिए और परिवहन पर आने वाले खर्च संबंधी निर्णयों को इस तरह से लागू किया जाना चाहिए कि जहां आवश्यक हो वहां ये भारत के हितसाधक हों.

अधिकतर समुद्रीय विनियामक मामलों में विश्व स्तरीय निर्णय आईएमओ में लिए जाते हैं, और आईएमओ में भारत द्वारा अपनी जगह बनाने के प्रयासों का सुफल सामने आने लगा है. दिनांक 22 जुलाई, 2016 को III-3 के प्लैनरी सत्र के दौरान, श्री अजी वासुदेवन, उप मुख्य पोत सर्वेक्षक, नौमनि, भारत सरकार को वर्ष 2017 के अन्तरराष्ट्रीय संलेखों के कार्यान्वयन पर आईएमओ की उप-समिति (III-4) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है.

आईएमओ संलेखों (III) के कार्यान्वयन पर उप-समिति का कार्य समुद्रीय सुरक्षा और संरक्षा एवं समुद्री पर्यावरण के संरक्षण का प्रभावी और अनवरत वैश्विक कार्यान्वयन और प्रवर्तन करना है.

आईएमओ सदस्य राष्ट्र ऑडिट का नेतृत्व करने के लिए चुने गए देशों में से भारत एक है:

अन्तरराष्ट्रीय गतिविधियों के स्तर में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप अन्तरराष्ट्रीय समुद्रीय मंच पर कार्य निष्पादन में वृद्धि हुई है और 2016 से आईएमओ सदस्य राष्ट्र ऑडिट का नेतृत्व करने के लिए चुने गए देशों में से यह एक है.

श्री सतीश कामत, इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक और श्री नेबू ऊमेन, पोत सर्वेक्षक ने 20-24.06.16 के दौरान दक्षिण कोरिया में सदस्य राष्ट्रों की ऑडिट का प्रशिक्षण प्राप्त किया.

सर्वेक्षण और प्रमाणन की व्यवस्था का उदारीकरण:

सर्वेक्षण और प्रमाणन की व्यवस्था को उदारीकृत किया गया जिससे यह प्रत्याशा है कि कारोबार करने में इससे आसानी होगी. आरंभिक रूप से भार रेखा तय किए जाने के बाद, पोत-स्वामी अपने पोतों के सर्वेक्षण और प्रमाणन हेतु आठ क्लास सोसाइटियों में से किसी से सेवाएं प्राप्त कर सकता है.

नव उद्यम संसाधन योजना बनाने (ईआरपी) की प्रणाली – आगे की ओर एक नया कदम:

कारोबार करने में आसानी लाने को ध्यान में रखते हुए नव उद्यम संसाधान योजना बनाने (ईआरपी) की प्रणाली को अंगीकार करने पर विचार किया गया. ईआरपी का प्रयोजन संगठन की सीमाओं के भीतर सभी कारोबारी कार्यों के बीच आसानी से सूचना के आवागमन और इसके बाहरी हितधारियों से संगठन के जुड़ावों का प्रबंधन होता है. इससे न सिर्फ कार्य का प्रबंधन होगा बल्कि प्रौद्योगिकी, सेवा आदि से संबंधित बैक ऑफिस के कई कार्य स्वतः ही होने लगेंगे साथ ही उद्योगों/हितधारियों द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा होगा उनमें भी कमी आएगी. ईआरपी के लिए निदेशालय द्वारा निम्नोक्त रूप में चरणों पर विचार किया जा रहा है:

- विद्यमान ई-गवर्नेन्स सिस्टम को बदल कर पूरी तरह से नई, अद्यतनीकृत, आधुनिक ई-गवर्नेन्स को लाया जाएगा.
- कार्य व्यापार की प्रक्रिया को पुनः रचने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में मैसर्स अर्न्स्ट एन्ड यंग द्वारा नौमनि, भारत सरकार की विद्यमान कार्य प्रक्रियाओं का व्यापक अध्ययन किया जा रहा है.
- विभिन्न हितधारियों से प्राप्त उनके फीडबैक के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है. निरंतर/समवर्ती रूप से हितधारियों के विचार जानने के लिए एक मॉड्यूल बनाया गया है और इसे कार्य में लिया जा रहा है.
- फिर से डिज़ाइन की गई कारोबार की प्रक्रियाओं को आधार बनाए जाने के लिए उक्त अध्ययन रिपोर्ट और हितधारियों से प्राप्त उनके विचारों को इस नई ई-गवर्नेन्स प्रणाली के अंतर्गत प्रयोग में लाया जाएगा.
- नई ई-गवर्नेन्स चार चरणों में विकसित की जाएगी –

    1. परियोजना को प्रारंभ किया जाना – जैसी है, इसकी समीक्षा और इसका अंतराल विश्लेषण
    2. प्रक्रिया डिज़ाइन और डिजिटल ब्लू-प्रिन्ट विकसित किया जाना.
    3. प्रापण सहायता यानी वेन्डर का चयन. पूर्वोक्त तीन चरण तो साथ ही चलेंगे.
    4. चौथा चरण कार्यान्वयन प्रबंधन का है.

राष्ट्रीय समुद्रीय दिवस – 05 अप्रैल 2016

हर वर्ष, 5अप्रैल का दिन ऐतिहासिक महत्व का होता है इस दिन तत्कालीन भारतीय नौवहन जलयान एसएस लॉयल्टी ने वर्ष 1919 में मुंबई से लंदन की पहली अन्तरराष्ट्रीय समुद्री यात्रा आरंभ की थी. महामहिम श्री विद्यासागर राव, माननीय राज्यपाल, महाराष्ट्र ने राज भवन, मुंबई में 31 मार्च, 2016 को 53वें नौवहन सप्ताह का उद्घाटन किया. एनएमडीसी 2016 –मुंबई में आयोजित 53वें समुद्रीय दिवस समारोह के समापन समारोह में दिनांक 05 अप्रैल 2016 को प्रस्तुत थीम पेपर का शीर्षक था, सुद्रीय क्षेत्र का कारोबार करने में आसानी, जिसमें सरकार के सदाशयतापूर्ण प्रयासों पर विचार किया गया ताकि नीतियों, प्रक्रियाओं और उन विनियमों को आसान किया जाए जिनसे विकास के मार्ग में बाधा आती है. इस अवसर पर उप नौसेनाध्यक्ष सुनील लांबा, पीवीएसएम,एवीएसएम, एडीसी ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और श्री माइकेल सीबर्ट, कोन्सुल जनरल, कोन्सुलेट जनरल ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और डीन ऑफ कोन्सुलेट कॉर्प्स ने विशिष्ट अतिथि के रूप में पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई.

नाविक दिवस:

नाविक दिवस के रूप में 25 जून को मनाए जाने की स्थापना दिनांक 21 से 25 जून 2010 में मनीला में आयोजित एसटीसीडब्ल्यू पर एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 2010 में की गई, ताकि अन्तरराष्ट्रीय समुद्र मार्ग से किए जाने वाले व्यापार, विश्व अर्थव्यवस्था और समूचे विश्व के लोगों को लाभ पहुंचाने में जो अद्भुत योगदान दिया है उसे मान्यता प्रदान की जाए. एनएमडीसी ने मुंबई ने 25 जून को नाविक दिवस मनाया. महानिदेशक, श्री राजेन्द्र सिंह, पीटीएम, टीएम भारतीय तट रक्षक, भारत सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में और श्री योशियाकी इटो, कोन्सुल जनरल कोन्सुलेट जनरल ऑफ जापान ने विशिष्ट अतिथि के रूप में पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई.

डिप्लोमा/डिग्री धारकों के लिए अद्वितीय अवसर:

डिप्लोमा/डिग्री धारक अभ्यर्थियों की मांग थी कि जिन्होंने डिप्लोमा/डिग्री सफलतापूर्वक उत्तीर्ण तो कर लिया है, लेकिन 10वीं या 12वीं कक्षा में उनके अंग्रेज़ी विषय में 50 प्रतिशत अंक नहीं हैं फिर भी उन्होंने डिप्लोमा में 60 प्रतिशत और डिग्री पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिए हैं उन्हें पात्र माना जाए. निदेशालय ने ऐसे मामलों की जांच की और दिनांक 04.03.16 के अपने पत्र के माध्यम से अनुमति प्रदान की है, जिसे नौवहन महानिदेशालय की आधिकारिक वैबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है, कि जिन अभ्यर्थियों के 10वीं या 12वीं कक्षा में अंग्रेजी विषय में यदि 50 प्रतिशत नहीं भी आए हों किंतु उन्होंने यदि डिप्लोमा में 60 प्रतिशत अंक और डिग्री में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सफलता प्राप्त की है तो ईटीओ पाठ्यक्रम हेतु ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश पाने हेतु तब पात्र होंगे जब डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी रहा हो और वे पात्रता के अन्य मानदंडों और चिकित्सा उपयुक्तता पर खरे उतरते हों.

नियोजन विवरण – अनिवार्य अपेक्षा:

भारतीय समुद्रीय प्रशासन ने पहले ही समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को समयबद्ध रीति से समुद्र पूर्व पाठ्यक्रमों हेतु नियोजन विवरणों को प्रस्तुत करने की अनिवार्य अपेक्षा के बारे में सूचित कर दिया है. तथापि, यह बात पता चली है कि कुछेक संस्थान नियोजन विवरण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं जिसके कारण प्रशासन को असुविधा हो रही है. समुद्रीय प्रशासन ने समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों पर नौवहन महानिदेशालय की सरकारी वैबसाइट पर विधिवत प्रदर्शित दिनांक 29 अप्रैल 2016 के पत्र के माध्यम से दबाव डाला है कि वे इस अपेक्षा पर गौर करें और समुद्र पूर्व पाठ्यक्रमों हेतु नियोजन विवरण प्रस्तुत करें. यह प्रतयाशित है कि सभी संबंधित समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान नौमनि की इस अपेक्षा को समझेंगे और समुद्रकर्मियों और विभिन्न हितधारियों की बेहतरी के लिए इसे प्रस्तुत करेंगे.

व्यापक निरीक्षण कार्यक्रम (सीआईपी):

नौवहन महानिदेशालय ने व्यापक निरीक्षण कार्यक्रम (सीआईपी) विकसित किया है, जिससे विद्यमान निरीक्षण प्रक्रियाएं समेकित और क्रमोन्नत हुई हैं, तो वहीं समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों हेतु प्रभावी ग्रेडिंग प्रणाली की शुरुआत हुई है. इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धांत और मूल्यांकन जांच सूची, उन मानदंडों की पहचान करना जिनके आधार पर वार्षिक रूप से हर संस्थान को ग्रेड दिया जाना तय किये जाएंगे. फीडबैक आदि को दृष्टिगत रख, नौमनि ने एक अध्ययन समूह बनाया है कि वह समुद्र पूर्व समुद्रीय संस्थान की सीआईपी जांचसूची की समीक्षा करे. उक्त अध्ययन समूह ने कई बैठकें की हैं, गत 2 वर्षों के सीआईपी के डाटा का विश्लेषण किया है और समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान और नौवहन उद्योग का फीडबैक प्राप्त किया. उक्त समूह की संस्तुति के आधार पर नौवहन महानिदेशालय ने समुद्रीय प्रशिक्षण के मानकों में संकल्पनागत परिवर्तनों और प्रभावी सुधार और ग्रेडिंग प्रणाली के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण रखने हेतु दिनांक 02.05.2016 के पत्र के माध्यम से सीआईपी जांचसूची की समीक्षा की है.

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आरूप में परिवर्तनों की आवश्यकता:

एसटीसीडबल्यू कन्वेन्शन के अध्याय 5 के अनुसार नौमनि द्वारा अनुमोदित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आरूप में संशोधन करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए नौवहन महानिदेशक ने नौमनि की सरकारी वैबसाइट पर प्रदर्शित दिनांक 28.04.16 वर्ष 2016 के प्रशिक्षण परिपत्र संख्या 2 के अनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आरूप को अनुमोदित किया है.

प्रपत्र -1- को अपलोड न करने से आरपीएस लाइसेन्स को निलंबित किया जा सकेगा:

नौवहन महानिदेशक ने आरपीएस अभिकरणों द्वारा की जाने वाली चूकों के कारण समुद्रकर्मियों को आने वाली समस्याओं के प्रति चिंता जताई और निर्णय किया है कि जो आरपीएस अभिकरण दिनांक 01.07.2016 से संबंधित समुद्रकर्मी की समुद्री सेवा का डाटा अपलोड नहीं करेंगे उनके लाइसेन्स को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा और अपलोड करने के ऐसे मामलों हेतु अलग से व्यवस्थाएं की जाएंगी जो कि समुद्रकर्मियों के लाभार्थ ही अपलोड की जाएंगी.

भारतीय नौवहन टनभार – निरंतर प्रगति ...

30.06.2015 की स्थिति के अनुसार गत वर्ष के समापन के समय भारतीय नौवहन टनभार 1216 जलयानों के साथ 10.29 मिलियन जीटी था. 30.06.2016 की स्थिति के अनुसार 1281 जलयानों के साथ 10.89 मिलियन जीटी था जिसमें 892 तटवर्ती और 389 विदेशगामी जलयान शामिल थे. इस बढ़ोतरी की प्रवृत्ति को बरकरार रखा गया है.

भारतीय नियंत्रण वाले टनभार जलयानों के लिए सुविधा – एक बार प्रक्रिया शुल्क:

भारतीय टनभार में वृद्धि और देश के बाहर स्थित भारतीय संस्थानों द्वारा पोतों को ध्वज की अनुमति देकर भारत के नियंत्रण वाले टनभार के ज़रिए भी टनभार में जो वृद्धि हुई है उस हेतु, वर्ष 2014 का नौमनि आदेश संख्या 9 जारी किया गया और इसके अनुसार लाइसेन्स लिए जाने के लिए प्रक्रिया शुल्क मासिक रूप से लिया जाता था. भारतीय नियंत्रण वाले टनभार के जलयानों की सुविधा हेतु निदेशालय ने विचार किया है कि दिनांक 01.04.2016 के वर्ष 2016 के एसडी परिपत्र संख्या 5 के अनुसार इन जलयानों को ऐसे लाइसेन्स दिए जाने के लिए एक बार ही प्रक्रिया शुल्क लिया जाए.

समुद्री यात्रा आरंभ करने हेतु अनुमति:

निदेशालय ने हाल ही में तटवर्ती नौवहन पर भारत - बांग्लादेश करार के तहत समुद्री यात्रा आरंभ करने हेतु अनुमति प्रदान की है. पहले 3 जलयान हैं (एमवी हारबर-1, एमवी केएसएल प्राइड और केएसएल ग्लेडिएटर).

स्थानांतरण और तैनाती तथा प्रशासनिक आवश्यकता:

क्रमांक	अधिकारी और कार्यालय का नाम	स्थानांतरण/ तैनाती का स्थान
1.	श्री एस. बारिक, उप मुख्य सर्वेक्षक, नौमनि, मुंबई	प्रधान अधिकारी के रूप में सवावि, चेन्नई पदोन्नति पर
2.	कप्तान एसके दास, उप नौटिकल सलाहकार, सवावि, चेन्नई	सवावि, मुंबई
3.	श्री एसएस गडकर, इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक, सवावि, मुंबई	सवावि, कांडला
4.	श्री एएम वानखेड़े, सवावि, कोच्चि	नौमनि, मुंबई
5.	श्री विक्रांत राय, इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक, कोलकाता	नौमनि, मुंब
6.	श्री मोहन राव किल्ली, इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक, नौमनि, मुंबई	सवावि, कोलकाता
7.	श्री प्रवीण आर. नायर, इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक, नौमनि, मुंबई	सवावि, कोच्चि

8.	श्री अनिरुद्ध चाकी, इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक, नौमनि, मुंबई	सवावि, हल्दिया
9.	श्री एसके श्रीवास्तव, इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक, सवावि, हल्दिया	सवावि, मुंबई
10.	श्री आरआर सुब्बाराव, इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक, नव नियुक्त	सवावि, पारादीप
11.	श्री सुजीत कुमार दास, इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक, सवावि, कांडला	सवावि, कोलकाता
12.	श्री सतीश कामत, इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक, सवावि, मुंबई	नौमनि, मुंबई
13.	श्री गोपीनंदन पापीनेनी, इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक, नव नियुक्त	नौमनि, मुंबई
14.	श्रीयुत श्रीनिवास प्रसाद अनापू, इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक, नव नियुक्त	सवावि, मुंबई
15.	श्री प्रदीप सुधाकर के, पोत सर्वेक्षक, नव नियुक्त	नौमनि, मुंबई

पदोन्नतियां/सेवानिवृत्ति :

- श्री बीआर शेखर, प्रधान अधिकारी पदोन्नति के उपरांत मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार
- श्री एस. बारिक, उप मुख्य सर्वेक्षक पदोन्नति के उपरांत प्रधान अधिकारी (इंजीनियरिंग)
- श्री विजय कुमार पांडेय, उमनि को निदेशक (विधिक) के रूप में निर्वाचन आयोग में कार्यभार संभालने हेतु कार्यमुक्त किया गया.
- श्रीमती सविता राज, सहायक को दिनांक 01.05.2016 से कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया
- श्रीमती आरआई सोलकर, कार्यकारी अधिकारी दिनांक 30.04.2016 को सेवानिवृत्त हो गईं

पदों को भरा जाना – संख्यात्मक दृष्टि से जनबल को बढ़ाया जाना:

- निदेशालय ने संघ लोक सेवा आयोग को प्रधान अधिकारी (नौटिकल) के पद को भरने के लिए डीपीसी प्रस्ताव भेजा है. 28.06.2016 को बैठक की गई जिसके परिणाम की प्रतीक्षा है.
- संघ लोक सेवा आयोग ने नौटिकल सर्वेक्षकों का परिणाम घोषित किया है जिससे निदेशालय को अवगत करवाया गया है. संस्तुत अभ्यर्थियों को नियुक्त किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. निदेशालय ने सभी संस्तुत अभ्यर्थियों को बधाई दी है और नौमनि परिवार के सदस्यों के रूप में इन्हें शामिल किए जाने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा की जा रही है.

आईएमओ में भारत की उपस्थिति – राष्ट्रीय प्रतिबद्धता (30.06.2016 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान):

भारत आईएमओ का एक सक्रिय सदस्य राष्ट्र है. तिमाही के दौरान निम्नोक्त सत्रों में भाग लिया गया:-

- समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति, आईएमओ, लंदन के 69वें सत्र में दिनांक 18.04.2016 से 22.04.2016 तक श्री बीआर शेखर, मुख्य सर्वेक्षक उपस्थित रहे;

- ईंधन में किफायत कर पोत चलाने पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए जी/ओ मीप, डालियों-चीन में दिनांक 23 से 27.05.2016 तक सर्वश्री एस बारिक, उमस और अजीत सुकुमारन, प्रअ (प्रभारी) उपस्थित रहे.

- पोत प्रोफाइलिंग पर एआरएफ कार्यशाला, क्वालालमपुर, मलेशिया में दिनांक 25.05.2016 से 25.05.2016 तक कप्तान एस. दारोरकर नॉटिकल सर्वेक्षक उपस्थित रहें.

- सोमालिया तट से परे समुद्री लूटपाट पर संविदा समूह का 19वां प्लेनरी सत्र और संबंधित बैठक मुहे, विक्टोरिया, सेशेल्स में आयोजित की गई. इसमें दिनांक 31.05.2016 से 03.06.2016 तक श्री संजय अंचलवार, उमनि उपस्थित रहे.

- विधिक समिति, आईएमओ, लंदन के 103वें सत्र में दिनांक 08.06.2016 से 10.06.2016 तक श्री अमिताभ कुमार, संयुक्त मनि और श्री सुरेश कुमार, मुपोस उपस्थित रहे.

- कार्यान्वयन पर उप समिति, आईएमओ, लंदन के तीसरे सत्र में दिनांक 18.06.2016 से 22.06.2016 तक श्री अजी वासुदेवन, उप मुपोस उपस्थित रहे

- आईएमओ सदस्य-राष्ट्र ऑडिट स्कीम (आईएमएसएएस), सियोल, कोरिया गणराज्य के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दिनांक 20.06.2016 से 24.06.2016 तक सर्वश्री सतीश देवदास कामत, इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक और नेबू ऊमेन, पोत सर्वेक्षक उपस्थित रहे

- दिनांक 06 से 09.06.16 को सिंगापुर में आईएमओ कन्वेन्शन और कार्यान्वयन पर 4 दिवसीय पाठ्यक्रम में श्री आश मोहम्मद, समनि उपस्थित रहे. यह पाठ्यक्रम विदेश मंत्रालय, सिंगापुर सरकार ने सिंगापुर सहयोग कार्यक्रम प्रशिक्षण अवार्ड (एससीपीटीए) के अंतर्गत आयोजित किया गया. प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस तरह से बनाया गया था कि इसमें चार अन्तरराष्ट्रीय कन्वेन्शन हों जिनके नाम हैं, सोलास, मारपोल, एसटीसीडबल्यू और समुद्रीय श्रम कन्वेन्शन, 2006.

समवर्ती फीडबैक और शिकायत समाधान प्रणाली – समुद्रकर्मियों और हितधारियों के लिए एक नया उपकरण:

प्रयोक्ता/नौवहन समुदाय की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक कुशल शिकायत समाधान प्रणाली को विकसित करने के लिए ई-गवर्नेन्स के अंतर्गत समवर्ती फीडबैक स्थापित किया गया है. इस संबंध में, एक आरंभिक कार्यशाला नौवहन महानिदेशालय और फील्ड अधिकारियों के लिए इसके कार्यान्वयन हेतु दिनांक 23-24.06.2016 को आयोजित की गई. जून, 2016 में 287 प्रश्न किए गए जिनमें से 278 का जवाब सफलतापूर्वक दिया गया. समुद्रकर्मी और हितधारी निदेशालय के इस नए सुविधाकारी कदम का उपयोग कर रहे हैं और इसका स्वागत कर रहे हैं.

प्रयोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण – वैश्विक बढ़ोतरी और प्रतियोगिता की आवश्यकता:

अत्यंत प्रभावी, कुशल, उत्तरदायी और प्रगतिशील समुद्रीय प्रशासन और समुद्रीय सहायता सेवा के रूप में विश्व स्तर पर पहचाने जाने हेतु नौवहन महानिदेशालय ने एक तृतीय पक्ष बेसलाइन सर्वेक्षण आरंभ किया है. यह सर्वेक्षण उन जवाबों पर आधारित था जो कि ऑनलाइन सर्वेक्षण, प्राथमिक विचार और विश्लेषण के दौरान प्राप्त हुए. ये संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों और नौवहन महानिदेशालय के अनुभागों को उपलब्ध करवाए गए.

हालांकि, सर्वेक्षण से पता चला है कि सामान्य रूप से अत्यंत सकारात्मक प्रवृत्ति रही है और नौमनि एवं इससे संबद्ध अभिकरणों की सेवाओं में लोगों का भरोसा है किंतु विकसित होती इस दुनिया और वैश्विक प्रतियोगिता में अभिकरणों की कार्यक्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है. नौमनि के पास इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है कि प्रभावी और श्रमपूर्वक प्रयास करे तथा ऑनलाइन समवर्ती फीडबैक की बेसलाइन सर्वेक्षण डाटा से तुलना कर इसके साथ-साथ तिमाही रूप से इसका विश्लेषण करे.

लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन (एमपीएसओ) – बंद किया जाना:

दिनांक 23-24.05.2016 के एमपीएसओ परिपत्र संख्या एमपीएसओ/एडीएम/217/2016/277 के माध्यम से पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रूप में दिनांक 01.07.2016 से एमपीएसओ के कामकाज को बंद कर दिया गया है.

ईटीवी – समुद्रीय सहायता सेवाएं:

मंत्रालय के निदेशों के अनुसरण में और समुद्रीय सहायता सेवाओं के अंतर्गत निहित बाध्यकारिताओं के अनुसरण में एससीआई ने दिनांक 25.06.2016 से भारत के पश्चिमी तट पर इस लक्ष्य और उद्देश्य से आपातकाल में खींच कर लाने वाले जलयान (ईटीवी) का नियोजन किया है कि विपत्ति में फंसे जलयानों की सहायता करें और भारतीय तट पर निहित खतरे को कम करने का प्रयास किया जाए.

विश्व में जलयानों को कहीं भी लगाया जाना – व्यापार के हित में है:

काम की कमी न होने के बाद भी कई पोत बिना काम के ही खड़े रहते हैं तो ऐसे में संबंधित हितधारियों से विचार जानने के बाद जलयानों को दुनिया भर में कहीं भी खड़ा किए जाने के लिए एक मार्गदर्शी सिद्धांत (वर्ष 2016 की वाणिज्यिक पोत परिवहन सूचना संख्या 06 दिनांक: 22.06.2016) बना कर अपनाए जाने के लिए जारी गया.

कन्टेनरों के वजन की अनिवार्य घोषणा – एक व्यापार सुविधा:

कन्टेनरों के वज़न की अनिवार्य घोषणा के संदर्भ में जलयानों की सुरक्षा हेतु सोलास में संशोधन के परिणामस्वरूप निदेशालय ने इसे अंतिम रूप देने से पहले उद्योग के लोगों के साथ कई सेमीनार/वार्तालाप किए ताकि नौवहन व्यापार की सुविधा हेतु महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्यपरक समाधान निकल सके. विस्तार से निदेश देने हेतु वर्ष 2016 की एक वाणिज्यिक पोत परिवहन सूचना दिनांक 11.05.2016 को जारी की गई. उद्योग की बाद की आवश्यकताओं के आधार पर एक अंतरिम उपाय के तौर पर वर्ष 2016 की वापोप सूचना संख्या 7 दिनांक 24.06.16 को जारी की गई ताकि व्यापार में गतिरोध पैदा हो. भारत ऐसे पहले देशों में से है जिनके पास ऐसी विस्तृत प्रक्रिया है और डाटा ट्रान्समीशन की पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया को जिसने अपनाया है.

परीक्षा (नॉटिकल) – ऑनलाइन प्रक्रिया का पूरा होना:

छह परीक्षा केन्द्रों पर 12 परीक्षाएं ली गईं (हर मास), ऑनलाइन प्रक्रिया को अंगीकार किए जाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई और कार्यनिष्पादन को बढ़ाने और प्रतियोगी बनाने के परिणामस्वरूप गुणात्मक सुधार आया है, निदेशालय जून 2016 से अब तक सभी सफल अभ्यर्थियों के अंक घोषित करता रहा है.

नोएडा में नॉटिकल परीक्षा हेतु अधिक स्थान:

सवावि, नोएडा के नए परीक्षा केन्द्र को जुलाई, 2016 से आरंभ किया गया जिसमें नॉटिकल ग्रेड के 120 परीक्षार्थियों के लिए जगह है इसे विशेष रूप से उत्तर भारत के परीक्षार्थियों के लिए बनाया गया है. इसके अलावा, मंतव्य यह है कि सीओसी के साथ अंक तालिका सभी समुद्रकर्मियों को दिनांक 01.08.2016 से जारी की जाए.

नौवहन महानिदेशालय में राजभाषा हिंदी के बढ़ते कदम:

राजभाषा की संवैधानिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठक नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव की अध्यक्षता में की गई. नौवहन महानिदेशक ने स्वयं तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की और बैठकों में लिए गए निर्णय पर अनुवर्ती कार्रवाई का आदेश दिया.

- *राजभाषा हिंदी की प्रगति और इसके विभिन्न प्रावधानों की जानकारी तथा इन्हें कार्यान्वित करने की दृष्टि से हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में अन्य विषयों के साथ-साथ राजभाषा हिंदी की जानकारी, कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य के बारे में बताया गया. विशेष रूप से संसदीय राजभाषा समिति और प्रश्नावली के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई. सभी उपस्थित कर्मचारियों द्वारा उत्साहपूर्वक भाग लिया गया. त्वरित गति के लिए अधिकारियों हेतु अलग सत्र का आयोजन किया गया.*
- *क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय एवं पश्चिम मुंबई द्वारा आयोजित राजभाषा विचार मंथन के दो दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया गया है और राजभाषा हिंदी की प्रगति की दिशा में प्रयत्नशील है.*

फील्ड कार्यालयों में गतिविधियां:

सवावि, चेन्नई में पोतों के पंजीकरण हेतु 3 आवेदनों को निपटाया गया, इस तिमाही के अंत में मात्र एक आवेदन लंबित है. 23 पीएससी और 1 एफएसआई किए गए, इसी तरह से पोत सर्वेक्षण हेतु 18 आवेदन सर्वेक्षण के लिए प्राप्त हुए और सभी पोतों का सर्वेक्षण कर लिया गया. इस तिमाही के दौरान 6 आईएसएम ऑडिट की गई और 6 प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया गया तथा विभिन्न ग्रेडों हेतु 1868 सीओसी जारी किए गए, तथापि, 272 सीओसी अभी जारी किए जाने हैं. विभिन्न इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए 670 अभ्यर्थी उपस्थित हुए तो 162 अभ्यर्थी विभिन्न नॉटिकल परीक्षाओं हेतु उपस्थित हुए. स्वच्छता पखवाड़ा और राष्ट्रीय जहाज़ी दिवस मनाए गए. ईएसी की क्यूएमएस की आंतरिक लेखा परीक्षा विशाखापत्तनम में दिनांक 07.04.2016 को सर्वेक्षक द्वारा की गई और चेन्नई में इसे 11 और 12.04.2016 को किया गया. कार्यालय में हिंदी के प्रयोग हेतु दिनांक 25.05.2016 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया.

सवावि, विशाखापत्तनम, 2 नए पोतों का पंजीकरण किया गया. 67 पोतों का का सर्वेक्षण/निरीक्षण/प्रमाणन किया गया. विभिन्न इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए 243 अभ्यर्थी उपस्थित हुए जबकि, चेन्ज ऑफ कमान्ड के लिए 1 था. राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु कार्यालय में राभाकास की बैठक को आयोजित किया गया.

सवावि, कोलकाता और इसके अधीनस्थ कार्यालयों ने तय तिथिसे पहले ही आईएसपीएस पाठ्यक्रम की अपेक्षा का अनुवीक्षण और कार्यान्वयन कर लिया. ई-गवर्नेन्स को विशेष रूप से विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों को जल्द तथा उचित सेवा प्रदान करने हेतु अपनाया गया. विभाग ने पंजीकरण, सर्वेक्षण, निरीक्षण, परीक्षा आदि का

कार्य कर लिया. समुद्रकर्मी समाधान प्रणाली प्रधान अधिकारी, सवावि के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रही है. अभिलेखों की छंटनी किए जाने का कार्य हाथ में लिया गया है. स्वच्छ भारत अभियान जारी है. क्षमता निर्माण पर कार्यशाला की गई और हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्य पर कार्यशाला का आयोजन किया गया.

सवावि, कांडला ने पीएससी, ध्वज सर्वेक्षण आदि जैसे विभिन्न 40 सर्वेक्षण आयोजित किए और 9 एमएमएसआई और कॉल साइन जारी किए गए, जबकि क्रमश: मौखिक और लिखित 108 और 105 परीक्षाएं ली गईं. स्वच्छता पखवाड़े में भी उत्साहपूर्वक भाग लिया गया, केपीटी बोर्ड मीटिंग हुई और माननीय पोत परिवहन मंत्री महोदय पधारे.

रेटिंग सीओसी जारी किया जाना – नया सुविधा केन्द्र:

रेटिंग जारी किए जाने के लिए नया सुविधा केन्द्र पुणे के लिए जून 2016 में और नई दिल्ली के लिए 05.07.2016 में अनुमोदित किया गया.

हाई वोल्टेज पाठ्यक्रम – प्रचालन का आरंभ:

हाई वोल्टेज पाठ्यक्रम प्रबंधन को 2015 में आरंभ किया गया और प्रचालन जुलाई 2016 में आरंभ हुआ जिससे भारतीय ईटीओ को लाभ होगा और एसटीसीडबल्यू कन्वेन्शन में संशोधन के कारण वे निरंतर रोज़गार में लगे रहेंगे.

पत्तन राष्ट्र नियंत्रण निरीक्षण:

तिमाही के दौरान, 138 का, जलयान पत्तन राष्ट्र नियंत्रण और वर्ग क तकनीकी अधिकारी द्वारा मानक से नीचे के डिटेन्शन को समाप्त किया गया.

सीओसी – जारी किया जाना :

तिमाही के दौरान, सीओसी निम्नवत जारी किए गए:

विगा (श्रेणी)		एनसीवी
एमईओ श्रेणी 1	144	36
एमईओ श्रेणी 2	238	
एमईओ श्रेणी 4	537	
ईटीओ	162	
कुल	1081	36

भारतीय मचेन्ट नेवी की पहली महिला कप्तान राधिका मेनन को समुद्र में शौर्य के लिए आईएमओ पुरस्कार प्रदान किया गया:

कप्तान राधिका मेनन, तेल उत्पाद टैंकर जलयान संपूर्ण स्वराज्य की मास्टर, को गत वर्ष जून मास में बंगाल की खाड़ी में टुमुल्टुओस समुद्र में मात्स्यिकी नौका डूब गई उसके सात मछुआरों को अद्भुत रूप से बचाने के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा समुद्र में अद्वितीय शौर्य हेतु 2016 के अन्तरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन (आईएमओ) अवार्ड के लिए नामित किया गया. यह पुरस्कार एमएससी 97 सत्र के दौरान प्रदान किया जाएगा संभावना है कि यह 21 नवंबर, 2016 को आयोजित किया जाएगा.

प्रशस्ति प्रमाण पत्र – श्री बीएम दास

श्री बीएम दास भारतीय तट रक्षक बल में बचाव हेलीकॉप्टर के यू/एनवीके प्रचालक हैं, आपने जलयान एमवी कोस्टल प्राइड के 14 कर्मियों को बचाया आपको भी आपके शौर्य हेतु प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा.

पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत नियमों को हटा दिया जाना:

कुशल शासन में बाधा बनने वाले पुराने कानूनों को हटा दिए जाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसरण में पोत परिवहन मंत्रालय, ने पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के निम्नोक्त छह नियमों को अंतिम रूप से हटा दिया जाना अधिसूचित किया है:

1. वाणिज्य पोत परिवहन (सुरक्षा कन्वेन्शन प्रमाणपत्र) नियम, 1975
2. वाणिज्य पोत परिवहन (रेडियो डायरेक्शन फाइन्डर्स) नियम, 1968
3. वाणिज्य पोत परिवहन (विपत्ति संदेश और नौचालन चेतावनियां) नियम, 1964
4. वाणिज्य पोत परिवहन (मस्टर) नियम, 1968
5. वाणिज्य पोत परिवहन (पायलट लैडर) नियम, 1967
6. लाइफ-बोटमैन के (योग्यताएं और प्रमाणपत्र) नियम, 1963

वर्तमान अधिसूचना मंत्रालय की पहले वाली अधिसूचना के अनुक्रम में है जो कि राजपत्र में दिनांक 17.11.2015 को प्रकाशित की गई थी जिसमें जनता से टिप्पणियां और आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं. दिनांक 17.11.2015 की अधिसूचना के माध्यम से सात नियम तो पहले ही निरस्त किए जा चुके हैं. इस तरह से आज तक मंत्रालय ने कुल मिलाकर वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत कुल मिलाकर तेरह नियम निरस्त कर दिए हैं. इस कदम से भारत में वाणिज्य पोत परिवहन क्षेत्र को शासित करने वाले कानूनी ढांचा सहज होगा और नौवहन क्षेत्र में प्रक्रियाएं और पद्धतियां सुचारू होंगी. इन नियमों को निरस्त किए जाने के कारण भारत में कारोबार करना आसान होगा और इसे वाणिज्य पोत परिवहन समुदाय और कारोबारियों में इसका बड़े पैमाने पर स्वागत हुआ है.

हमारे प्रिय समुद्रकर्मी क्या कहते हैं:

टिकट #431773 7.02.2016 5:12 अपराह्न आदर्श शिप मैनेजमेन्ट प्रा. लि
सेवा बहुत अच्छी थी तथा अद्यतन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार हमारे पक्ष के अनुसार नाम भी बदल दिया गया है आपकी सेवा उत्कृष्ट थी.
टिकट #226171 06.30.2016 6:15 अपराह्न मिसाम अब्बास
नौवहन महानिदेशालय और सवावि, दिल्ली ने जल्द और अच्छा जवाब दिया
टिकट # 775851 7.03.2016 11:22 पूर्वाह्न राजेश रघुनाथन
प्रिय श्री, नमस्कार । मेरा नाम राजेश रघुनाथन है (इन्डोज़ नंबर: 01ईएल5717) और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन आवेदन करने पर डीसीई जारी किए जाने में आपके कार्यालय सवावि, मुंबई उत्कृष्ट कार्रवाई की. मुझे आवेदन करने के बाद 3 दिन में डीसीई मिल गया, और मैं बहुत प्रसन्न हूं तथा ऑनलाइन प्रक्रिया से बहुत प्रभावित हूं इससे समय और ऊर्जा, और चूंकि मैं मंगलौर में रहता हूं तो आने-जाने में होने वाले खर्च की बहुत बचत होती है. भविष्य में भी आपसे ऐसी ही अपेक्षा रहेगी. सादर,राजेश रघुनाथन
टिकट #606700 07/14/2016 12:20 अपराह्न बिबिन एन्टॉनी
ऑनलाइन आवेदन करना एक उपयोगी अनुभव रहा.
टिकट #775667 07/07/2016 2:56 अपराह्न फैज़ल जलील चौगले
मैं निदेशालय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आईटी के माध्यम से आवेदन करने का उपयोगी तरीका आरंभ किया गया है जिससे समुद्रकर्मियों को विभिन्न प्रमाणपत्रों और लाइसेन्सों हेतु घर बैठे आवेदन करने में सुविधा रहती है, साथ ही मैं कप्तान एसआई अबुल कलाम आज़ाद का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सीओसी और सीओपी के नवीकरण में आपने अमूल्य सहायता की.
टिकट #507466 07/23/2016 12:25 अपराह्न कुश कपूर
बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी सीओसी बदल कर जारी कर दिया गया. कमाल का काम किया गया है.
टिकट #601455 06/23/2016 06:30 अपराह्न सुधीर कुमार सिंह
दिए गए परीक्षा परिणामों से मैं बेहद प्रसन्न हूं. सवावि कोलकाता और मित्रों को धन्यवाद.
टिकट #422232 06/20/2016 2:11 पूर्वाह्न पोतदार जयेश विवेक
ऑनलाइन प्रणाली ने परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया को अत्यंत आसान कर दिया है और इससे समय बचता है.
टिकट #559303 06/20/2016 05:29 अपराह्न अरुण सिंह
गत कुछ मास से मौखिक परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन बुकिंग में कुछ समस्या आ रही थी. अब समस्या का समाधान 13 घंटे के भीतर हो गया है. सवावि, नोएडा के कर्मचारियों को साधुवाद. भविष्य में भी आपसे यही अपेक्षा है.
टिकट #198312 06/10/2016 01:06 पूर्वाह्न बदी नवीन कुमार
आप सबका धन्यवाद
टिकट #132291 06/23/2016 09:24 पूर्वाह्न कप्तान संजय पराशर
आज का अपना पहला फीडबैक मैंने अपलोड किया है. कमाल की व्यवस्था है. इतने करीब से फीडबैक दिए जाने की व्यवस्था को विकसित करने के लिए आपका धन्यवाद. माननीय मंत्री श्री नितिन गड़करी जी ने तो पोत परिवहन उद्योग में तूफानी परिवर्तन ला दिए.
टिकट #626036 06/12/2016 07:51 पूर्वाह्न एमडी अमीनुल हक़
मैं संतुष्ट हूं
टिकट #856963 06/12/2016 12:35 पूर्वाह्न कप्तान नवदीप सिंह भल्ला
द्रुत और कुशल वैबसाइट. समुद्रकर्मियों के लिए बहुत ही मददगार. नौमनि और टीम को धन्यवाद.
टिकट #416447 06/12/2016 12:37 कप्तान नवदीप सिंह भल्ला
टिकट #697097 06/03/2016 02:43 अमनजोत सिंह सचदेवा
बहुत अच्छा

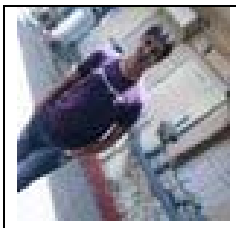

ट्विटर प्रश्न फीडबैक –

विरिल कुमार यादव

Viril Kumar Yadav@VirilKumar @shipmin_india

धन्यवाद, सर, आज मैं सच में कह सकता हूं कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है...

जय हिंद.